न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R5177-II/16

Rs 30/-

लखनलाल तनय गुरूचरण दास जोशी, निवासी ग्राम सोहौला, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

बनाम्

नारायणदास आहूजा तनय एस0एम0 आहूजा, निवासी रामना टोला, तह0–रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता

श्री.. शलेन्द्र शर्मा .... द्वारा आज दिनांक 07-4-16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार सर्किल रैगांव, तह0–रघुराज नगर, के राजस्व प्रकरण क्र0–258 अ–12/93–94 निर्णय एवं आदेश दिनांक 23/05/1994

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि नं0–353/4 के सीमांकन बावत् नायब तहसीलदार वृत्त रैगांव, तह0–रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0) के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने संबंधी आदेश जारी हुआ तथा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच उपरान्त तहसीलदार वृत्त रैगांव को जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया कि मौके पर

लखनलाल

(91)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5177-II/16 जिला सतना

लखनलाल जोशी विरूद्ध नारायणदास आहूजा

1	2	3
13.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र गर्ग अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 258/अ12/93-94 में पारित आदेश दिनांक 23-05-94 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-3-19 को कलेक्टर, सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	